



CIN:U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(पीपीएम)

कमरा नं० 223, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

फोन नं० - 0141-2747040, फैक्स नं० - 0141-2744803

ईमेल - c_comml@yahoo.com

क० जेपीडी/मु.अ.(पीपीएम)/अधी.अभि.(आरई)/पत्रा. /प्रे० 1747 जयपुर, दिनांक - 28/10/15.

कार्यालय आदेश

कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र की तामील संबंधी विवाद, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने एवं अन्य कारणों से मांग पत्र राशि जमा न होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाते हैं परन्तु ऐसे प्रकरण विभिन्न स्तर पर लंबित हैं एवं आवेदक लगातार आवेदनों को पुर्नजीवित करने हेतु निवेदन कर रहे हैं।

जयपुर डिस्कॉम में उपरोक्त ऐसे प्रकरणों के विवेकपूर्ण निस्तारण हेतु एक समिति गठित की जाती है जिससे कि निरस्त कृषि कनेक्शनों का निस्तारण समय पर किया जा सके। समिति में निम्न सदस्यगण होंगे :-

1. निदेशक (तकनीकी)
2. संबंधित संभागीय मुख्य अभियन्ता
3. अधीक्षण अभियन्ता (आरई)

समिति ऐसे सभी आवेदनों पर निर्णय कर निस्तारण करेंगे जो अंतिम होगा।

संबंधित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता ऐसे प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से अधीक्षण अभियन्ता(आरई) को उपरोक्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण प्रेषित करेंगे।

आज्ञा से

(गिरीश तोतुका)
मुख्य अभियन्ता(पीपीएम)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा जोन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/भरतपुर/कोटा।
2. अधीक्षण अभियन्ता(पवस/जेपीडीसी/जेसीसी), जयपुर डिस्कॉम, -----
3. अधिशाषी अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम, -----

मुख्य अभियन्ता(पीपीएम)